न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 28 ⁄ 2020 (2020 ⁄ 00051)

प्रार्थी

दीपाराम पुत्र धनाराम, जाति सुथार, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत सोमेसर जरिये सरपंच तहसील शेरगढ़।
2. भंवरदान पुत्र भीखदान, जाति चारण, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 46 जो मिसल संख्या 05 ⁄ 2010 में दिनांक 28.12.2010 को सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया।

— — —

उपस्थिति :—

1. अधिवक्ता सिद्धार्थ परिहार (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता एन0 के0 चाण्डक (अप्रार्थी संख्या 2)।

—आदेश — दिनांक : 22.02.2021

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ने पट्टे में वर्णित पड़ौसो के बीच स्थित भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के नाम जारी करने में कानूनी भूल की है। ग्राम पंचायत ने जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का कोई कब्जा अथवा मकान बना हुआ नहीं है।। उक्त पट्टा विलेख से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना—पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश हुई।

पुनरीक्षण प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत सोमेसर से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एन0 के0 चाण्डक ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सोमेसर दिनांक 17.08.2020 को न्यायालय में उपस्थित हुए और अवगत कराया कि [illegible] द्वारा चाही गई पत्रावलिया एवं अभिलेख पट्टा संख्या 46 दिनांक [illegible] मिसल संख्या 05 ⁄ 2010 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:54 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित बहस पेश हुई तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस भी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि जिस भू–भाग का पट्टा अप्रार्थी के नाम से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का कोई कब्जा अथवा मकान नहीं बना हुआ है अतः ग्राम पंचायत ने नियम 157 (1) के तहत मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर भारी भूल की है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु विधिवत् कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा कोई पत्रावली संधारित नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु जो निर्धारित प्रक्रिया है उसकी कोई पालना नहीं की गई और न ही ग्राम पंचायत में पट्टा जारी करने संबंधी कोई अभिलेख पत्रावली इत्यादि उपलब्ध है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थी ने दिनांक 02.07.2020 को रहवासीय मकानों व दुकानों की मरम्मत हेतु कुछ निर्माण सामाग्री लाकर भूखण्ड के पास डाली तो पूर्व सरपंच आवडदान ने प्रार्थी से कहा कि इस भूखण्ड का पट्टा पहले से अन्य आदमी के नाम से जारी किया गया चुका है। पंचायत से इस भूखण्ड के पट्टे के बारे में पता लगाने हेतु प्रयास किया परन्तु कोई रिकॉर्ड इस भूखण्ड से संबंधित ग्राम पंचायत में नहीं मिला परन्तु बताया गया कि उक्त पट्टे का पंजीयन मई 2020 में करवाया गया है तो प्रार्थी ने उप पंजीयक कार्यालय शेरगढ से नकल प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.07.2020 को पेश कर नकल प्राप्त की तब प्रार्थी को इस बारे में जानकारी हुई। प्रार्थी अभिभाषक ने गणेश कुमार पुत्र सोरंगसिंह बघेल वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत किशोर नगर पंचायत समिति शेरगढ द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया जिसमें उल्लेख है कि वे वर्ष 2007 से मार्च 2011 तक एवं अप्रेल 2012 से अप्रेल 2013 तक ग्राम पंचायत सोमेसर के ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे तथा उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत द्वारा नियमितिकरण/आवंटन किसी प्रकार का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं किया गया। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर आलौच्य पट्टा संख्या 46 एवं की गई समस्त विधि विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि पट्टा संख्या 46 पर अप्रार्थी संख्या 2 ने पैसों से कब्जा है। इस जमीन का पट्टा आज से 10 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 आवदान के नाम जारी किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:54 IST
Reason: SelfAttested

विधि का यह स्पष्ट विधान है कि पट्टे की अधिकारिता आज से 10 वर्ष पूर्व की है जिसकी जानकारी प्रार्थी व उसके परिवार वालों को शुरू से आज तक है। प्रार्थी की याचिका समय सीमा में नहीं है बहुत ज्यादा अक्षम्य देरी होने से यह याचिका मात्र देरी के आधार पर खारिज की जानी चाहिये। इसके समर्थन में निम्न न्याायिक नजीरे पेश की।

1- 2017 (2) DNJ 743 Shimbhu Ram vs Raj. Housing Board
2- 2019 AIR (SC) 1423 Estate Officer vs Gopi Chand
3- 2018 DNJ (SC) 1175 Mohd. Sahid vs Raziya Khanam
4- 2012 (2) DNJ 903 (D.B.) State of Rajasthan vs Pooran Chandra
5- 2011 (2) DNJ 903 (D.B.) State of Rajasthan vs Bhanwar lal jalantra
6- 1999 (1) WLC 486 (D.B.) Collector vs Darshan Singh
7- 1995 DNJ (Raj.) 592 (D.B.) Pat Ram vs State of rajsthan
8- 2018 (4) DNJ (Raj.) 1363 (D.B.) Pat Ram vs Man singh
9- 2007 (1) WLC 638 Kayum Khan vs Additional Divisonal commissioner

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि उक्त पट्टे वाली जमीन पर प्रार्थी पिछले 4–5 वर्षो से मात्र किरायेदार है। केवल मात्र यह याचिका अप्रार्थी संख्या 2 को तंग करने व उसकी मालिकाना सम्पति को हडपने की योजना से पेश की है। वादग्रस्त भूखण्ड पर जो दुकान निर्मित है उसका निर्माण अप्रार्थी संख्या 2 ने करवाया है। प्रार्थी पिछले 4–5 वर्षो से इन दुकानों पर किरायेदार है।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त उक्त पट्टा वर्तमान में पंजीबद्ध है। पंजीबद्ध पट्टे को केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा मूल वाद के माध्यम से ही खारिज करवाया जा सकता है अन्यथा नहीं। इसके समर्थन में निम्न न्याायिक नजीरे पेश की।

1. 2017 APEX COURT 3 188 (SC-larger Bench) Satya Pal Anand vs State of M.P.
2. 2018 (2) DNJ 385 (Raj.) Gulam Jilance vs Director of Local Self Government
3. 2016 AIR (Raj.) 95 Ram Chandra vs District Collector
4. 2009 (1) WLC (Raj.) 332 M/s Anukampa Avas-Vikas vs State of Raj
5. 2018 (1) CIVIL COURT CASES 232 S. Palanisamy vs The subregistar

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:54 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः अपनी बहस में बताया कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। इसके समर्थन में न्यायिक

निर्णय आरजेटी 2017(3) पेज 1995 राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेन्ट घेवरचन्द व अन्य बनाम स्टेट प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन रहा कि निगरानी कालबाधित पट्टे को चुनौती दी गई है चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत के किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है, परन्तु आलौच्य पट्टा 2010 में जारी किये जाने से अपील मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह भी स्पष्ट किया गया कि ''राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश कर सकेगी।'' पंचायत निगरानी का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। यह तथ्य निर्विवादित है कि न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से मुख्य अभिलेख तलब करने पर ग्राम पंचायत द्वारा मूल पट्टा, पट्टे के लिये आवेदन–पत्र, मूल मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने की पुष्टि की गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दिनांक 31.08.2020 को गणेश कुमार पुत्र सोरंगसिंह बघेल वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत किशोर नगर पंचायत समिति शेरगढ द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया जिसमें उल्लेख है कि वे वर्ष 2007 से मार्च 2011 तक एवं अप्रेल 2012 से अप्रेल 2013 तक ग्राम पंचायत सोमेसर के ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे तथा उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत द्वारा नियमितिकरण/आवंटन किसी प्रकार का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं किया गया। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत पंचायती राज नियम, 1996 नियम 157 (क) के तहत जारी किया गया है। नियम 157 के अनुसार पुरानों गृहों का विनियमितिकरण – जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। (क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:45:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्मित मकानों हेतु 100 रूपये (ख) 50 वर्षों का दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके की वह पीढियों से उक्त भूखण्ड पर 50 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे है। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टे का नियमानुसार जारी करना संदेहात्मक है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर भंवरदान पुत्र श्री भीखदान जाति चारण निवासी ग्राम सोमेसर तहसील शेरगढ को ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 46 मिसल संख्या 05 सन् 2010 दिनांक 28.12.2010 को एतद् निरस्त किया जाता है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति ग्राम पंचायत सोमेसर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:54 IST
Reason: SelfAttested